न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारी: अतुल प्रकाश, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या: 2572 / 2016

उनवान

योगेन्द्र सिंह पिता गजराज सिंह राजपुत जाति राजपुत निवासी नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: प्रार्थी

बनाम

(1) हरमेश पिता प्रतापसिंह भील जाति भील निवासी नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा।

(2) कैलाशचन्द्र पिता प्रकाशचन्द्र भील जाति भील निवासी नवागांव तहसील गंढी जिला बांसवाडा।

(2) तहसीलदार, तहसील गढी जिला बांसवाडा।

—: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 17 माही परियोजना में सरकारी भूमि आवंटन नियम 1984

निर्णय

दिनांक: 18.3.2021

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भुमि आराजी सर्वे नम्बर 3760 मे से रकबा 0.18 एयर भुमि वाके ग्राम नवागांव तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज) मे स्थित है। उपरोक्त भुमि पर प्रार्थी कदीमाना से काश्तकर फसल कमाता आ रहा है तथा इस भुमि का उपयोग एवं उपभोग करता चला आ रहा है। अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 का उक्त भुमि पर कोई हक एवं अधिकार नही है तथा अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने धोखे से प्रार्थी के कब्जे काश्त की उक्त भुमि राजस्व अधिकारियों से मिलकर गैर कानुनी तरीके से आवंटित करवा दी। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी कर शास्त्री वसुलना स्पष्ट करता है कि मौके पर प्रार्थी का कब्जा कायम होकर वह इसका उपयोग व उपभोग कर रहा है। अप्रार्थी द्वारा उक्त भुमि फर्जी तरीके से आवंटित करवा दिया है जो कि नियम विरूद्ध होकर काबिल खारजी है। उक्त भुमि पर प्रार्थी वर्षो से काबीज है नियमानुसार प्रार्थी को बेदखल किये बिना किसी को भी उक्त भुमि आवंटन करने अथवा देने के अधिकार नही है। उक्त भुमि के संबंध में अप्रार्थी नम्बर 01 से सुचना चाहने पर अप्रार्थी ने कोई रेकार्ड नही होना जाहीर किया जिससे यह बिलकुल स्पष्ट है कि फर्जी तरीके से प्रार्थी के कब्जे की भुमि का नियम विरूद्ध गैरकानुनी तरीके से अप्रार्थी नम्बर 03 ने अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 के हक मे नामान्तरण दर्ज किया है जो खारीज करते हुए उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर उक्त भुमि को प्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड किया जाना आवश्यक है। आवंटन के सम्बन्ध में आवंटित भुमि की मौका जांच एवं पटवारी रिपोर्ट नही मंगवाई गई है न ही भौतिक सत्यापन किया गया है। मात्र टेबल वर्क कर उक्त भुमि अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 के नाम आवंटन की है। जबकि प्रार्थी का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है । उपरोक्त प्रश्नगत भुमि अप्रार्थी नम्बर 01 व 02 ने फर्जी तरीके से अपने नाम करवा ली जो विधि विरूद्ध होकर काबिल निरस्तनीय है। आवंटन नियम 6 के अनुसार आवंटन के पुर्तिकर्ताओं के लिए क्रम निर्धारित किया गया है । जिसमें अप्रार्थी किसी क्रम मे नही आता है। प्रार्थी आवंटन दिनांक को प्रश्नगत भुमि पर अस्थाई कृषक था एवं उसका आधिपत्य आज तक मौजुद होकर काश्तरत है परन्तु उक्त नियम की [illegible] करने से उक्त आवंटन काबिल निरस्तनीय है। नियम 9(3) क ख (4) की [illegible] कार्यवाही मे नही की गई है। आवंटन के लिए आवेदन की पात्रता अभिनिश्चित करने के [illegible] अभिलेखों मे सुसंगत प्रविष्ठियों की सत्यापन व जांच करना आवश्यक था परन्तु न तो सत्यापन किया गया व [illegible] कोई जांच की गई केवल सरकारी कार्यवाही कर आवंटन आदेश [illegible] गया जो कानुनन नि[illegible] है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित कृषि भूमि प्रार्थी की अन्य कृषि भुमि से लगी हुई हैं तथा प्रार्थी व उसके पिता ने प्रश्नगत कृषि भुमि को उपजाउ बनाया है। प्रार्थी की खाते की अन्य कृषि से लगी हुई आवंटित कृषि भुमि छोटा टूकडा है तथा पडोस की समरूपी मृदा वर्ग के आरक्षित मूल्य से दूगूनी मूल्य प्रार्थी अदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:46:41 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

करनेहेतु तत्पर है तथा आवंटित भुमि का प्रार्थी हकदार है। इस भुमि को आवंटन पर लेने हेतु भी इच्छुक है तथा प्रार्थी आवंटन एवं नियमन की पात्रता रखता है। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 द्वारा प्रश्नगत कृषि भुमि पर कभी आधिपत्य नही रहा है और न ही कब्जा काश्त है। जबकी नियम 13(ख) के अनुसार आवंटी को दो वर्ष के भीतर काश्त करने के लिए आबद्ध होगा इस शर्त को पुर्ण करने मे अप्रार्थी विफल रहने पर भुमि का आवंटन प्राधिकारी द्वारा रद्द किये जाने के लिये दायी होगा। उक्त शर्त की पालना अप्रार्थी नम्बर 1 द्वारा नहीं की गई है। जिस कारण आवंटन निरस्तनीय है। प्रार्थी का आधिपत्य करीब 30 वर्षों से भी अधिक समय से कब्जा काश्त प्रश्नगत कृषि भुमि पर चला आ रहा है व प्रार्थी राजस्थान कृषि जोत पर अधिकतर सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 अधीन आवंटी पर लागु अधिकतम क्षेत्र की सीमा तक ऐसी सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा बनाई रखने की अनुमति प्राप्त करने का पात्र है परन्तु आवंटन प्राधिकारी एवं सलाह राह समिति ने वास्तविकता की जांच किये बिना ही पेपर आवंटन कर दिया जो रद्दकरण योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 को किया गया आवंटन आवंटी अप्रार्थी नम्बर 01 के आवंटन मे तथा दस्तावेज मे गलत कथन पर हुआ है। वास्तविक तथ्यों को छुपा कर आवंटन किया गया है जो नियम 17 के अन्तर्गत रद्दकरण किये जाने योग्य है। अप्रार्थी नम्बर 1 व 2 प्रार्थी के साथ 8 रोज पूर्व मे उक्त भुमि में फसल की देख रेख कर रहा था कि तब विवाद करने लगे और प्रार्थी के साथ लडाई झगडा कर प्रार्थी को धमकी दी की यह भुमि हमारे नाम दर्ज हो गई है तुम इसका कब्जा छोड दो जिस पर प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में सम्बन्धित पटवारी हल्का पटवारी से सम्पर्क किया तो जानकारी मिली की प्रार्थी नम्बर 1 ने अवैद्य रूप से प्रश्नगत कृषि भूमि का आवंटन अपने नाम करवा लिया है। उक्त आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रतिया प्राप्त हुई जिस पर यह प्रार्थना पत्र नियम 17 के तहत प्रस्तुत होना आवश्यक होने से पेश हुआ।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री विरेन्द्रसिंह राव, अभिभाषक का वाकलातनामा पेश होकर जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को अस्वीकार कर कथन किया गया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा काश्त नही होकर अप्रार्थीगण का ही कब्जा व काश्त होकर नियमानुसार भूमि आवंटन होने से प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र को खारीज कराने निवेदन किया। प्रकरण में भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट लि जाने पर मुताबिक तसीलदार रिपोर्ट कथन किया गया कि पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव की सर्वे नम्बर 3760 रकबा 0.44 हे0 भूमि पर खातेदार कैलाशचन्द्र पिता प्रकाश चन्द्र जाति भील सा.देह खातेदार द्वारा मौके पर ट्यूबवेल लगाकर खेती करना तथा सर्वे नम्बर 4662/3760 रकबा 0.10 हे0 भूमि पर खातेदार हरमेश पिता प्रतापसिंह का मौके पर कब्जा होकर काश्त की जाना अवगत कराया। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की जाने पर बकुलाय की बहस सुनी गई।

बकुलाय की बहस पर मनन् करने तथा प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, राजस्व अभिलेख की छाया प्रतिया एंव अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से प्रस्तुत जवाब तथा भूमिधारी तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन कर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहूँचा हैं कि पटवार हल्का साकरिया के मौजा नवागांव के सर्वे नम्बर 3760 रकबा 0.44 हे0 भूमि अप्रार्थी संख्या 02 कैलाशचन्द्र पिता प्रकाश चन्द्र जाति भील के नाम दर्ज रिकार्ड होकर उक्त भूमि पर अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ट्यूबवेल लगाकर कब्जा काश्त होने एंव सर्वे नम्बर 4662/3760 रकबा 0.10 हे0 भूमि अप्रार्थी संख्या 01 हरमेश पिता प्रतापसिंह के नाम दर्ज रिकार्ड होकर [illegible] पर अप्रार्थी संख्या 01 के काबिज होकर काश्त करने से प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र [illegible] होने से प्रार्थी के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Atul Prakash
Date: 2021.04.12 16:16:41 IST
Reason: SelfAttested

(अतुल प्रकाश)IAS
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

Scanned by CamScanner